.... नं० .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार 8407 वास्ते पावा/जवाब/तलबी दि० 17/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
17/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 5/12/22 को पेश हो। दस्तावेज रीडर	
5/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 27/12/22 को पेश हो। दस्तावेज रीडर	
27/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 20/1/23 को पेश हो। दस्तावेज रीडर	
20/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार अदम वास्ते पावा/जवाब दि० 1/3/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर शान्ति ... हेतु 20.2.23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
20/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ... /P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त ... से जनरल तारीख पेशी की गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/3/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
28.3.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर ... हेतु 6.4.23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
6/4/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ... /P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त ... से जनरल तारीख पेशी की गई गत आदेश की पालना में दिनांक 26/4/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
26/4/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ... /P.O. सा० राज्य ... में व्यस्त होने से जनरल तारीख ... की गई गत आदेश की पालना में दिनांक 18/5/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
18/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ... /P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी की गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22/5/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/6/23 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में ग्राम पंचायत ... में पेश हुई। पक्षकारों में कोई सहमति नहीं हो सकी। आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 12/7/23 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बांदीकुई (दौसा)	
12/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/7/23 को पेश हो। दस्तखत रीडर	
28/07/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 11/8/23 को पेश हो। दस्तखत रीडर	
11/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित वास्ते जवाब दि० 16/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
16/8/23 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित/ पत्रावली वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 22/8/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
22/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 8/9/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
8/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 22/9/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। वकीलों [illegible] कार्य स्थगन/P.O. [illegible] व्यस्त होने से [illegible] तारीख [illegible] गत आदेश की पालना में दि [illegible] को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
22/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। शपथ पत्रावली वास्ते पेश करके पावर। जवाब दि० 17/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों [illegible] कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी [illegible] गत आदेश की पालना में दि 9/11/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
9/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 20/12/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
20/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 19/1/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
19/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य [illegible] होने से जनरल तारीख पेशी [illegible] आदेश की पालना में दिनां[illegible] को पेश हो।
14/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 21/3/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर

-2000-10 लाख फा

FORM No. III

APP
Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

जगदीश सिंह .... बनाम अजीत सिंह

दफा ... धारा 145 ... नं० 17.8.2022 .... सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते पेश करने पावर/जवाब दि० 9/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
9/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. रा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दी गई। आदेश की पालना में दिनांक 1/5/24 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी	
1/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 6/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
6/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 28/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
28/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते पेश करने पावर व जवाब दि० 13/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4/10/24

पत्रावली [illegible] [illegible] द्वारा कार्य
स्थगन/ [illegible] से व्यस्त
होने से [illegible] गई। मत
आदेश की पालना में दिनांक...14/10/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

14/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत
आदेश की पालना में दिनांक...4/11/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

4/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत
आदेश की पालना में दिनांक...3/12/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

3/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत
आदेश की पालना में दिनांक...7/1/25
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

07/01/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रतिवादी
वकील द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी
हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते
आदेश पत्रावली दिनांक 10/01/2025 को पेश हो।

10/01/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील
उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं
संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। मूल वाद

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसका पर्याप्त दस्तावेज साक्ष्य सबूतो एवं गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत 2074-2077 ग्राम चौरवाडा खाता सं. नया 84 पुराना 84 के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शामिल खातेदार काश्तकार है सभी खातेदारो को अस्थायी साम्मिलित भूमि मे सभी खातेदारो को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही है मूल वाद दावा तकास्मा का है जिसमे दिनांक 28/06/24 को प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। इसलिये अत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रापत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमराह किया हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड [illegible]

Reader
by
5/7/22

178
2022

टी-आरई

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय

बांदीकुई

सूबेदार मेजर (रिटायर्ड) जगदीश सिंह पुत्र फतेसिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी बी 9 पहल सिटी 2 एम एल श्री गंगानगर, राजस्थान।
2. मानसिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल कार्यरत यू. डी.सी कार्यालय उप निदेशक (कृषि विभाग) लालसोट रोड दौसा जिला दौसा।
3. हेमलता सिंह पुत्री सुमेर सिंह पत्नि रोहित सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 67 ग्रीनपार्क एफ कॉलोनी नॉगल जैसा बोहरा धीरावत मैरिज गार्डन के पास झोटवाडा जयपुर।
4. उम्मेदसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा हाल निवासी आवास विकास कॉलोनी सैक्टर नम्बर 8 हाउस नम्बर 572, बोदला, आगरा, उत्तरप्रदेश।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी गढ के सामने वार्ड नम्बर 35 जागिर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
6. रामसिंह पुत्र जालिम सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा।
7. रूपसिंह पुत्र जालिमसिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा।
8. विजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान।
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान, राजस्थान।

10.शशिकंवर पुत्री बहादुरसिंह पत्नि नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत हाल निवासी प्लाट नम्बर 15 आनन्द विहार कॉलोनी अनोखागांव होटल के पास, सीकर रोड जयपुर, राजस्थान।

11.रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी गिरधारी का गोला चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान।

12.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय बसवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमानजी,

सेवामें प्रार्थना पत्र हस्ब जैयल पेश है :–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र प्रार्थी ने सम्पुष्ट आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूरी –पूरी आशा है।

2. यह है कि रामा ग्राम चोरवाडा पटवार सर्किल मूंडधिस्या तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03, 6, 7 व 11 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 83 पुराना 85 आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1.19 हैक्टेयर चाही 01, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 रकबा 0.75 हैक्टेयर चाही 01, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.06हैक्टेयर गै.मु.गूणी, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.09 हैक्टेयर चाही 1, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.61 चाही 01 कुल किता 5 कुल रकबा 3. 70हैक्टेयर स्थित चली आ रही है जिसमें प्रार्थीका 1/4 वां हिस्सा व अप्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। तथा इस खाता संख्या की आराजी का सभी खातेदार हिस्सेदारों ने सरस नरस तरीके से हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा उस पर काबिज है काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीने व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा बाहमी तौर पर सरस नरस बंटवारा अनुसार खाम व पुख्ता निर्माण कर काबिज है तथा प्रार्थी द्वारा बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर लागत व परिश्रम लगाकर उपजाउ

बना लिया है तथा प्रार्थी ने सरस नरस अनुसार बाहमी बंटवारा में अपने हिस्से अनुसार आई भूमि पर तारबन्दी करवाकर हद बना रखी है तथा उस पर नर्सरी बना रखी है तथा विधुत कनैक्शन ले रखा है तथा प्रार्थी सरस नरस अनुसार बाहमी तौर पर हुये बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आई व उसके द्वारा उन्नत, उपजाउ व हद तय की गई भूमि ही तकास्मा करवा कर प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 10 की कब्जे काश्त सहखातेदारी की भूमि वाके रामा चोरवाडा, पटवार हल्का मूण्डघीस्या, भू. अभि. नि. बडियालकला तहसील बसवा जिला दौसा में खाता संख्या नया 84 पुराना 84 आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.98 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.17 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.1800 खातली, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी 3 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.10 गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.26 बंजड, खसरा नम्बर 135/780 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.14 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.09 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.60 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.08 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.54 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.53 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.70 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.46 बारानी 3, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.99 हैक्टेयर बंजड कुल किता 17 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 की सहखातेदारी की भूमि है उक्त भूमि को वादपत्र में मुतदाविया भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 वां हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण का हिस्सा भी दर्ज जमाबन्दी है तथा वाके रामा चोरवाडा, पटवार हल्का मूण्डघीस्या भू. अभि.नि. बडियाल कला तहसील बसवा जिला दौसा के खाता संख्या नया 80 पुराना 80 के आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.93 हैक्टेयर, स्थित चली आ रही है जिसमें

प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा चला आ रहा है।

4. यह है कि मुतदाविया भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है भूमि को सह खातेदारान ने मौके पर सरस नरस तौर पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है प्रार्थी समस्त भूमि का सहखातेदार दर्ज हिस्से अनुसार बाहमी तौर पर भूमि मुतदाविया पर काश्त करता चला आ रहा है खातेदारी शामलाती होते हुये भी प्रार्थी हिस्से अनुसार भूमि पर अलग से काबिज है तथा प्रार्थी नियमानुसार हिस्से अनुसार भूमि मुतदाविया पर अपने हिस्से अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है।

5. यह है कि वादपत्र के पैरा नम्बर 01 व 02 में वर्णित भूमि का विधिवत तकास्मा नही होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषक सहायता राशि व अन्य योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है।

6. यह है कि भूमि मुतदाविया का प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी के मध्य विधिवत तकास्मा नही होने से दिनांक 01.07.2022 को भी जब प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर शूड करने व खाद डालने गये तो मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया इस पर प्रार्थी ने भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने की कही तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। व बिना विधिवत तकास्मा हुये राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जा रही कृषक सहायता प्राप्त करने में प्रार्थी को असुविधा होती है

7. यह है कि अप्रार्थीगणजो ऐन केन प्रकरणेन प्रार्थी को नुकसान पहुॅचाना चाहते है व भूमि का बिना विधिवत तकास्मा हुये ही दीगर सख्स को रहन बय करने पर आमादा हो रहे है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दीगर दीवानी व फौजदारी मुकदमें पक्षकारान के मध्य चल पडेगे। तथा प्रार्थीगण को अपने जायज हक हकूक व हिस्से की भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी पूर्ती किसी भी कदर नही हो पायेगी। इसलिये अप्रार्थीगण को

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 02 व 03 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने व भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा हुये बिना निर्माण कार्य करने से दीगरान को रहन बय हस्तान्तरित करने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने से पाबन्द फरमाया जावे।

8. यह है कि प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 02 व 03 में वर्णित भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे तथा रिहायश को बिना तकास्मा कराये जर्ये रहन, बैय बकसीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से व स्वंय या अपने परिवारजन व गिरोह के जरिये मुतदाविया भूमि के किसी भी भाग पर पुख्ता या खाम निर्माण करने से व प्रार्थी को उनके हिस्से खातेदारी की भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर स्वंय का नाजाईज कब्जा करने से दीगरान का आधिपत्य करवाने से व प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में काश्त करने में बाधा डालने से बाज व मुमतना रहे।

दिनांक 4-7-22

प्रस्तुतकर्ता

जगदीश सिंह पुत्र फतेसिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अभिभाषक

न्यायालय उपजिला कलैक्टर एंव उपजिला मजि. महोदय

बांदीकुई

सूबेदार मेजर जगदीशसिंह बनाम विकमसिंह वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

शपथ पत्र

मनकि जगदीश सिंह पुत्र फतेसिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा। का हूँ जो कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :—

1. यह है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 लगायत 08 मेरे जाति इल्म से व बमशवरा कानूनी सही एंव दुरूस्त है जिनको सही होना स्वीकार करती हूँ।
2. यह है कि प्रार्थनापत्र के पैरा नम्बर 1 लगायत 8 में वर्णित तथ्यों को इस शपथ पत्र के साथ अडोप्ट एंव रिपीट किया हुआ माना जाकर इस शपथ पत्र का अंग समझा जावे व इस शपथ पत्र के साथ पढा, सुना, समझा जावे।

अतः शपथ पत्र पेश है।

दिनांक 4-7-22

शपथग्रहिता

सत्यापन

मनकि जगदीश सिंह पुत्र फतेसिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा। सशपथ सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित पैरा नम्बर एक लगायत 2 मैने अपने निजी ज्ञान व विश्वास से सही दर्ज करवाये है ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक 4-7-22

ह0 सत्यापक

ATTESTED
4/7/22
NOTARY
Bandikui (Dausa) Rajasthan